आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के कमांक व दिनांक
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय हाज़ा ने प्रकरण में बाद तामील सुनवाई करके प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी, उसके बाद आज दिनांक तक कोई भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ, ना ही कोई जवाब/खण्डन पत्रावली पर आया है, अतः अंतरिम आदेश को कन्फर्म किया जावे। बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 6/5/24 के बाद पत्रावली पर कोई भी जवाब/खण्डन/प्रतिरोध पेश नहीं हुआ है अतः न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 6/5/24 को वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जाखल स्थित खसरा नं. 741, 742, 1171/742, 1172/744, 744, 745 व 747 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखें। निर्णय आज दिनांक 16/7/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible signature] 16/07/24 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़	